शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग का कोई अभ्यावेदन राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा से प्राप्त नहीं हुआ है जबकि इस संगठन से दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण में अनियमितताओं के आरोप का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण को पुनः सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया गया है तथा इसके कार्यों को अधिक निष्पक्ष और सुस्पष्ट बनाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की लोक शिकायत मशीनरी को पुनः नया बनाने; सुदृढ करने तथा आधुनिकृत करने के भी उपाय किए गए हैं ।

फ्लोर कवरेज एरिया का दुरुपयोग

709. **श्री श्यामनन्द सहाय** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फ्लोर कवरेज एरिया अनुपात को बदलने संबंधी प्रावधान के दुरुपयोग किए जाने की शिकायतों पर कोई कार्यवाही की है ; जैसा कि 2 अगस्त 1991 के समाचार मेल में समाचार छपा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रावधानों के ऐसे दुरुपयोग वाले मामलों की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) विशिष्ट शिकायतों की जांच पडताल की गई है तथा इसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(i) न्यू टाउन को-आपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी

सोसाइटी को रोहिणी के सैक्टर 14 में प्लाट सं० 3 आवंटित किया गया था जो किसी भी स्तर पर मनोरंजनात्मक भूमि नहीं थी तथा यह इस क्षेत्र के अनुमोदित विन्यास नक्शे का एक भाग है । दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा 26-4-88 को यह नक्शा अनुमोदित किया गया था । इसके अतिरिक्त, दिल्ली नगर कला आयोग ने 15-12-89 को विशिष्ट ग्रुप हाउसिंग विन्यास नक्शा तथा इस समिति का भवन नक्शा अनुमोदित किया था और उसके पश्चात् 18.40% के ग्राउन्ड कवरेज और 174.93 के पर्शी क्षेत्र अनुपात के साथ इसें 26-2-90 को रिलीज किया गया था ।

(ii) पहाड़ी धीरज को-आपरेटिव सोसाइटी

पहाड़ी धीरज को-आपरेटिव सोसायटी के मामले में कोई अतिरिक्त फ्लोर एरिया कवरेज की अनुमति नहीं दी गई थी । इसके अतिरिक्त, पट्टाकर्ता की अनुमति के बिना पर्शी क्षेत्र अनुपात को नहीं बदला जा सकता है और इस सामूहिक आवास समिति के संबंध में फ्लोर एरिया कवरेज अनुपात में परिवर्तन करने की अनुमति दी गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

झुग्गी झोपड़ी निवासियों का पुनर्वास

710. **श्री श्यामनन्द सहाय** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :